भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1264**

दिनांक 11 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

**'पोषण अभियान' के तहत जारी की गई और उपयोग की गई निधि**

**1264 श्री सतीश चंद्र दुबेः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की अतिव्यापी योजना' के तहत दिसम्बर 2019 तक जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने राज्यों द्वारा इस योजना के आरम्भ से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि में से 50 प्रतिशत का भी उपयोग नहीं किए जाने के कारणों का अध्ययन किया है ।

(ग) इस योजना के तहत राज्यों द्वारा निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 से इस मिशन के परिणामों के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : पोषण अभियान के तहत दिसम्बर, 2019 तक निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) : पोषण अभियान के तहत निधियों के उपयोग की प्रगति के संबंध में राज्यों से नियमित रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं। इसमें होने वाली किसी देरी की समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में निगरानी की जाती है।

(ग) से (घ) : सरकार ने समीक्षाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लक्ष्य हासिल किए जाएं और निधियों का उपयोग किया जाए। पोषण अभियान का मूल्यांकन भी कराया गया है।

*****

**अनुलग्नक**

**11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के भाग(क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**पोषण अभियान के तहत (31.12.2019 तक) निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2017 – 18 में निर्मुक्त + आईएसएसएनआईपी का अव्ययित शेष | वित्त वर्ष 2018-19 में निर्मुक्त | वित्त वर्ष 2019-20 में निर्मुक्त | 31.12.2019 तक प्रयुक्त कुल केंद्रीय निधि |
|---|---|---|---|---|---|

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2017 – 18 में निर्मुक्त + आईएसएसएनआईपी का अव्ययित शेष | वित्त वर्ष 2018-19 में निर्मुक्त | वित्त वर्ष 2019-20 में निर्मुक्त | 31.12.2019 तक प्रयुक्त कुल केंद्रीय निधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2,572.41 | 8,604.68 | 5,582.52 | 8,677.99 |
| 2 | बिहार | 7,063.44 | 15,001.67 | 10,000.00 | 18,373.30 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 1,668.12 | 9,629.51 | 0.00 | 3,096.26 |
| 4 | दिल्ली | 945.95 | 2,206.88 | 0.00 | 1,254.14 |
| 5 | गोवा | 238.07 | 197.78 | 0.00 | 101.68 |
| 6 | गुजरात | 3,036.66 | 11,228.04 | 7,531.00 | 11222.25 |
| 7 | हरियाणा | 400.97 | 5,992.46 | 0.00 | 2,696.94 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1,557.26 | 4,153.15 | 2,480.00 | 4,966.17 |
| 9* | जम्मू और कश्मीर | 388.59 | 8,343.52 | 0.00 | 2188.33 |
| 10 | झारखंड | 2,429.59 | 5,110.45 | 0.00 | 2,065.05 |
| 11 | कर्नाटक | 3,351.05 | 9,870.89 | 0.00 | 420.68 |
| 12 | केरल | 1,273.37 | 6,491.91 | 0.00 | 2455.31 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 4,067.20 | 15,894.17 | 17,883.00 | 12,404.30 |
| 14 | महाराष्ट्र | 2,572.31 | 20,989.28 | 33,061.47 | 23,602.32 |
| 15 | ओडिशा | 4,600.46 | 10,571.65 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | पुद्दुचेरी | 39.24 | 393.70 | 497.00 | 224.71 |
| 17 | पंजाब | 819.51 | 6,090.33 | 0.00 | 306.50 |
| 18 | राजस्थान | 4,216.26 | 9,680.99 | 0.00 | 6,315.69 |
| 19 | तमिलनाडु | 1,340.51 | 12,210.93 | 0.00 | 10464.20 |
| 20 | तेलंगाना | 1,736.94 | 8,595.70 | 7,003.00 | 4,579.10 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 8,440.60 | 29,582.87 | 0.00 | 17132.35 |
| 22 | उत्तराखंड | 1,866.25 | 4,301.57 | 3,696.00 | 3,768.19 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 5,545.27 | 19,294.11 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | अरुणाचल प्रदेश | 52.93 | 2,663.35 | 0.00 | 368.30 |
| 25 | असम | 2,298.27 | 15,492.36 | 14,171.00 | 11,591.74 |
| 26 | मणिपुर | 340.46 | 3,865.37 | 0.00 | 1,233.24 |
| 27 | मेघालय | 462.98 | 1,713.27 | 1,706.80 | 2,144.45 |
| 28 | मिजोरम | 119.38 | 957.65 | 902.00 | 1,461.47 |
| 29 | नागालैंड | 163.74 | 1,251.97 | 1,445.17 | 1,561.92 |
| 30 | सिक्किम | 98.59 | 328.47 | 544.00 | 436.75 |
| 31 | त्रिपुरा | 277.91 | 3,695.72 | 0.00 | 810.75 |
| 32 | अंडमान और निकोबार | 100.22 | 416.89 | 307.62 | 224.49 |
| 33 | चंडीगढ़ | 158.88 | 306.82 | 526.97 | 257.68 |
| 34 | दादरा और नगर हवेली | 108.83 | 129.32 | 681.16* | 805.14 |
|  | दमन और दीव # | 42.06 | 197.66 | 446.98 | 197.66 |
| 35 | लद्दाख | – | – | – | – |
| 36 | लक्षद्वीप | 60.00 | 138.90 | 126.75 | 198.90 |
|  | **योग** | **64,454.28** | **2,55,593.98** | **1,08,592.44** | **1,57,607.95** |

* जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र शामिल है

# दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव का अब विलय हो गया है

*****